समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 06 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जून, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वंचित दलितों का हक लूटने वाले अजा/अजजा वर्ग के सम्पन्न क्रीमिलेयर लोगों को आरक्षित कोटे से बाहर किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी को पत्र लिखकर विकासवादी राजनीति को नुकसान पहुंचाने वाले और वंचित दलितों का हक लूटने वाले अजा/अजजा वर्ग के सम्पन्न क्रीमिलेयर लोगों को आरक्षित कोटे से बाहर करने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि हाल ही सम्पन्न हुये लोकसभा चुनावों में यह प्रकटत: देखने को मिला है कि अजा/अजजा वर्ग में शामिल सम्पन्न व्यक्तियों और जातियों ने एनडीए सरकार की विकासवादी नीतियों का प्रखर विरोध करते हुये इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय जातिवादी दलों और विचारहीन हो चुकी कांग्रेस जैसी पार्टियों के जातिवादी एजेण्डे का पुरजोर समर्थन किया हैं। अजा/अजजा वर्ग के सम्पन्न क्रीमिलेयर लोग अपने ही जाति वर्ग के विपन्न, वंचित लोगों के हकों को लूट रहे हैं, आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के लाभों को वास्तविक वंचितों एवं दलितों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं।

आगे लिखा है कि यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में किसी भी जाति वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल सरकारी नौकरियों में ''अपर्याप्त प्रतिनिधित्व'' वाले पिछड़े वर्ग के वंचितों को ही आरक्षण देने का विकल्प दिया गया है। दुर्भाग्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल पांच

> यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में किसी भी जाति वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल सरकारी नौकरियों में ''अपर्याप्त प्रतिनिधित्व'' वाले पिछड़े वर्ग के वंचितों को ही आरक्षण देने का विकल्प दिया गया है।

न्यायाधीशों द्वारा 1992 में इंदिरा साहनी के प्रकरण में अदूरदर्शी और असंवैधानिक निर्णय देते हुये यह निर्धारित कर दिया गया कि जातियों को भी '' पिछड़ेपन'' का आधार माना जा सकता है। इसी निर्णय का दुष्परिणाम है कि आज भारत जैसे सशक्त प्रजातांत्रिक देश में विकासवादी राजनीति को कुण्ठित जातिवादी स्वार्थी राजनेताओं द्वारा भारी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि पूरा देश इस सच्चाई को जानता है कि अजा/अजजा वर्ग के सम्पन्न, सशक्त, स्वार्थी और परिवारवादी क्रीमिलेयर लोगों द्वारा एनडीए सरकार की विकासवादी राजनीति के विरूद्ध पिछले 10 वर्षों से लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। इन्हीं क्रीमिलेयर लोगों की एकजुट करतूतों के कारण 02 अप्रेल, 2018 को पूरे भारत देश में हिंसक बंद का आयोजन करके देश को जातिगत गृह युद्ध की तरफ धकेलने का प्रयास किया गया था।

साथा ही पूरा देश यह भी जानता है कि एनडीए सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में विकासवादी राजनीति करते हुये इसके भी भरपूर प्रयास किये गये हैं कि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक, हकदार वंचितों एवं दलितों तक पहुंचाया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-तीन संविधान पीठों ने अलग-अलग निर्णयों में यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर सम्पन्न लोगों को बाहर किये बिना आरक्षण का लाभ दिये जाने से वास्तविक वंचितों, दलितों, पिछड़ों तक यह लाभ नहीं पहुंच पाता है जो संविधान प्रदत समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है, प्रकटत: असंवैधानिक है।

पत्र में मांग की गई है कि विकासवादी राजनीति की सुरक्षा के लिए, जातिवादी राजनीति को हतोत्साहित करने के लिए तथा वास्तविक वंचितों, दलितों एवं पिछड़ों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-तीन संवैधानिक पीठों के निर्णयों की पालना करते हुए अजा/अजजा वर्ग से सम्पन्न, स्वार्थी, परिवारवादी क्रीमिलेयर लोगों को तत्काल बाहर करने के आदेश जारी करवायें।

पत्र की प्रतियाँ सभी सम्मानीय लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों को वास्तविक वंचितों, दलितों एवं पिछड़ों की भलाई के लिए यथोचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई।

बिहार का 65 प्रतिशत आरक्षण हुआ चित, हाई कोर्ट ने बताया असंवैधानिक

पटना। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तत्कालीन सरकार में लिए 65 फीसदी लागू आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी।

इंदिरा साहनी केस की दलील पर गिरा बिहार सरकार का आरक्षण

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि राज्य में जो सरकारी शिक्षण संस्थान में 49.50 प्रतिशत आरक्षण का

> 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण 14 और 16 का उल्लंघन है : हाईकोर्ट

प्रावधान रहा है। यह सामाजिक और आर्थिक तबके के आधार पर तय होता है। 1992 के इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सरकारें हैं वह 50 फीसदी के अंदर ही आरक्षण ला सकती हैं। उसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि सरकारी नौकरी या शिक्षण संस्थान में कुल वैकेंसी का 50 फीसदी के अंदर ही आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन राज्य ने दो कानून लाए- एक शिक्षण संस्थान में देने के लिए और दूसर रोजगार में देने के लिए। इसमें राज्य सरकार ने 49.5 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया। यह कानून आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करती है। याचिका में इंदिरा साहनी केस और कुछ साल पहले मराठा आरक्षण केस में आए फैसले को आधार बनाया। इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट न कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने जजमेंट सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 65 फीसदी आरक्षण आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की है यह दोनों कानून उसका सीधा-सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने दोनों कानून को निरस्त करने का आदेश दिया।

मराठा आरक्षण केस में भी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। ऐसा ही प्रयास राजस्थान सरकार ने किया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस फैसले का रिव्यू करे और 50 फीसदी के नीचे ही आरक्षण का प्रावधान रखे।

बिहार सरकार कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

अध्यक्ष की कलम से

सतत सक्रियता

साथियों,

हर युग में सही सोचने वाले और करने वाले प्राय: चौथाई प्रतिशत से भी कम होते है। लेकिन मानवता और धरती का भाग्य वे ही लिखते है। कम से कम समता आन्दोलन के प्रत्येक सदस्य को संतोष है कि वो उन्हीं मानवीय लोगों में शामिल है। इन दिनों पूरे प्रदेश में 17वां स्थापना दिवस मनाये जाने के आयोजन पूरे उत्साह के साथ चल रहे है। हम किसी पार्टी या नेता के पक्ष में अथवा विरोध में नहीं है। हम तो उन्हें भी साथ लेकर चलते है जो स्वयं को अलग मानते है। हमारे एससी और एसटी के अलावा ओबीसी प्रकोष्ठों की सक्रियता इसका प्रमाण है।

समता और समरसता की संवैधानिक शुचिता को बनाये रखने के लिए अब तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, रूपवास आदि में बड़े और भव्य स्थापना दिवस मनाये जा चुके है। आगे करौली और जोधपुर में तैयारियां चल रही है। बेशक जाति आरक्षण को लेकर परिस्थितियाँ राष्ट्र के अनुकूल बनते-बनते ठिठक गई है। लेकिन यह भी एक पड़ाव मात्र है।

हमने अर्थात समता आन्दोलन ने जो कीर्तिमान बनाये है उन्हें कोई नहीं बदल सकता है। आगे और अधिक तथा स्थायी बदलाव होंगे। कृपया आश्वस्त रहे और अपना मनोबल बनाये रखे।

जय समता

सम्पादकीय

फिर बोतल के बाहर जिन्न

लीजिये ! लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुये। किसे कितनी सीट मिली और किसकी सरकार बनी ये सब पार्टियों और उनके नेताओं का विषय है। हम संतुष्ट है कि सरकार बन गई और अपना काम विधिवत शुरू कर चुकी है। फिर भी इतना तो कहना ही होगा कि लोक मानस में गुंजता और कई तरह से प्रतिध्वनित हुआ नारा ''आयेगा तो मोदी ही'' पूरी तरह प्रमाणित रहा । देश की समस्त जनता को नई सरकार और नई संसद की बधाई।

बावजूद इस सबके हमारी चिंता स्वाभाविक है। वो चिन्ता ये है कि विगत दस सालों में धीरे-धीरे करके देश के नासूर जातीय आरक्षण का धीमा किन्तु सतत जो ऑपरेशन चल रहा था और प्राय: सफलता के एकदम पास था कि सबकुछ किसी सुन्दर सपने की तरह बिखर कर रह गया। वर्तमान सरकार ने अपनी मंशा आरक्षण को लेकर कभी छुपाई नहीं और नेताओं द्वारा बार-बार कहा गया कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन उसे पूरी तरह रखते हुये निष्प्रभावी बना देंगे।

सच में चुनावों से पहले लगने लगा था और उसी आधार पर हमने लिखा भी था कि ये लोकसभा चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर नहीं होंगे। फिर अचानक एक झटके से जातिगत जनगणना का मुद्दा इतने आक्रामक ढंग से सामने आया कि जाति आरक्षण के सभी आंकलन तार-तार होते नजर आये। इसमें आग में घी का काम किया सत्ता पक्ष द्वारा 400 सीटों पर जीतने के बडबोलेपन के दावे ने। इससे आरक्षित वर्ग चौकन्ना और सावधान हो गया। बस, फिर जो होना था वहीं हुआ। धर्म की अफीम तक फेल हो गयी। क्योंकि आरक्षण खत्म करने का झूठ इतना और इस तरह वायरल हुआ या किया गया कि धीरे-धीरे एक पार्टी के बहुमत की तरफ लौटता हुआ लोकतंत्र फिर से गठबंधन की सौदेबाजी वाली राजनीति की तरफ झुक गया।

इन चुनावों से पहले ही स्पष्ट हो गया था कि जात की राजनीति करने वाली मायावती के मंच का पर्दा गिर चुका है। और ठीक ऐसा ही हुआ भी। लेकिन आशा की विपरीत कोने में बैठा चन्द्रशेखर रावण संसद सदस्य के रूप में जीत कर मायावती का विकल्प बनकर उभर चुका है। यह एक नये तरह का खतरा है। जो जाति आरक्षण की बेहोशी को तोड़ने का कारक बन सकता है। भले ही उसके पास मजबूत पार्टी और काडर ना हो लेकिन सबसे ताकतवर मुद्दा तो उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है।

अत: आजादी के अमृत महोत्सव अर्थात 75 साल के बाद यह प्रश्न तो बनता है कि जो जाति आरक्षण अपने लागू होने के दस साल बाद स्वत: समाप्त हो जाना चाहिये था वह किसी रक्तबीज की तरह आखिर बार-बार नये रूपों में क्यों सामने आ जाता है? क्यों हमारे देश की राजनैतिक पार्टियॉ लोक कल्याण की शास्त्रीय आकांक्षा को छोड़कर जातिवाद के जाल में उलझ कर रह गई है।

साफ है कि विगत 17 सालों से जाति आरक्षण का संविधानिक विकल्प स्थापित करने को तत्पर समता आन्दोलन का काम फिर से बढ गया है। आने वाले कल के बारे में कुछ भी कहा जाना कभी भी स्थायी नहीं रहा। लेकिन वर्तमान के लिए तो यहीं कहना पड़ेगा समता आन्दोलन हिम्मत न हारा है न ही हारेगा।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

विधि व्यवस्था: भ्रम की प्रतिध्वनि !!!

क्या भारत लोकतंत्र की नयी परिभाषा लिखने जा रहा है? यह प्रश्न नहीं सनद है। सब जानते और मानते है कि लोकतंत्र का प्राणतत्व होती है विधि व्यवस्था। ये व्यवस्था आज पूरी तरह भ्रमित दिखाई देती है। पूरी तरह का मतलब सच में पूरी तरह।

भारतीय लोकतंत्र के भ्रमित होने से अधिक प्रकट और प्रत्यक्ष प्रमाण है विधि व्यवस्था के भ्रमित होने के। यहां हम सालों लंबित तीन-सवा करोड़ मुकदमों की बात नहीं कर रहे है। हम ये भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि न्याय अधिकारियों अर्थात न्यायपतियों को हर साल मिलने वाला एक माह का अवकाश गलत है या सही।

हम सीधे तौर पर वर्तमान के संदर्भ पर आये तो हाल ही नीट परिक्षाओं में पेपरलीक की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट का कथन उधृत करना चाहेंगे'- ''यदि 0.001 प्रतिशत भी गडबड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिये क्योंकि कम नम्बरों से बनने वाला डाक्टर जनता की क्या सेवा करेगा।'' न्यायपति का इशारा स्पष्ट है। लेकिन यह बड़ी अदालतें आरक्षण के नाम पर ऐसे ही अयोग्य लोगों को देश की जनता पर थोपने को लेकर दर्ज अनेक तथ्यों को नजर अंदाज करती रही है। यह भयानक भ्रम की स्थिति है।

दूसरा तथ्य बिहार हाईकोर्ट का है। वहां विद्वान हाईकोर्ट ने प्रदेश में जाति आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढाकर 65 प्रतिशत कर दिये जाने के बिहार सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है। कोई तीन दशक पहले इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि जाति आरक्षण किसी भी हालत में 50 प्रतिशत की सीमा में अधिक नहीं होगा। यहा। जटिल पेच ये आता है कि 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को किस श्रेणी में रखा जायेगा?

यह तो तथ्य है कि ईडब्ल्यूएस और एससी-एसटी का आरक्षण तात्विक रूप से अलग है। ओबीसी का आरक्षण मंडल आयोग की अनुशंसा के कारण तात्विक स्तर पर अलग है। और संविधान संशोधित करके दिया गया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो बिल्कुल ही भिन्न है। क्योंकि एससी/एसटी और ओबीसी का आरक्षण संविधान में दर्ज पिछड़े वर्गों के नाम पर पूर्णत जाति आधारित है। जबकि ईडब्ल्यूएस पूर्णत आर्थिक आधार पर दिया गया है।

इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की गई थी वह पूरी तरह जाति आरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन इस फैसले में ''किसी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं'' - की बाध्यता से सभी हाईकोर्ट बंधे हुये है। जबकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुये बाद आरक्षण अब दो भागों में बंट गया है। और मौटेतौर पर 50 प्रतिशत की सीमा इसलिये आता है कि ये भी आरक्षण है जबकि ये जाति पर आधारित नहीं होने से 50 प्रतिशत सीमा से बाहर की स्थिति है।

यह तो तथ्य है कि ईडब्ल्यूएस और एससी-एसटी का आरक्षण तात्विक रूप से अलग है। ओबीसी का आरक्षण मंडल आयोग की अनुशंसा के कारण तात्विक स्तर पर अलग है। और संविधान संशोधित करके दिया गया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो बिल्कुल ही भिन्न है। क्योंकि एससी/एसटी और ओबीसी का आरक्षण संविधान में दर्ज पिछड़े वर्गों के नाम पर पूर्णत जाति आधारित है। जबकि ईडब्ल्यूएस पूर्णत आर्थिक आधार पर दिया गया है।

इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की गई थी वह पूरी तरह जाति आरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन इस फैसले में ''किसी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं'' - की बाध्यता से सभी हाईकोर्ट बंधे हुये है।

ईडब्ल्यूएस को लेकर मध्यप्रदेश का हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित रखते हुये आदेश दिय है कि यह आरक्षण निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा से बाहर शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित में से दिया जायेगा। इस आदेश के अनुसार तात्विक रूप में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण संवैधानिक उपहार होते हुये भी 10 की जगह 5 प्रतिशत ही रह जाता है। बल्कि इससे भी कम। उदाहरण के रूप में 100 पदों में से 16 एससी, 20 एसटी 27 ओबीसी के होंगे तो शेष बचे 37 पदों में से दस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस होंगे तो वे चार प्रतिशत ही रह जायेंगे। यह भी भयानक विधिक भ्रम है।

जाति अथवा आर्थिक आरक्षण के कारण जो कानूनी भ्रम की स्थिति बनी है उसका असर पूरी न्याय प्रणाली पर जो दिखाई दे रहा है वह किसी भी तरह सही नहीं कहा जा सकता है। कुछ समय पहले तक यह व्यवस्था भी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णया - ''लॉ ऑफ लैण्ड(भारत)'' के रूप में मान्य था। किसी एक व्यक्ति या संस्था के पक्ष में जो सुप्रीम डिसिजन होता था वह पूरे देश में मान्य हो जाता था। लेकिन न जाने कहां, किस स्तर पर ये परिवर्तन हुआ कि अब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा केवल वहीं लाभ लेने का अधिकारी होगा। शेष लोगों को समान पीड़ा होते हुए भी दुबारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना होगा। ये भी विधी का भ्रम है।

सबसे बड़ा विधिक भ्रम ये है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फौजदारी, दीवानी अथवा कानूनी केसों को संविधान की कसौटी पर कसकर निर्णय देते है। जी हॉ निर्णय देते है। वे स्वविवेक के आधार पर न्याय देना चाहे तब भी इन्हें एक्ट अथवा धाराओं की सीमाओं में ही रहकर निर्णय देने होते है। यह भी भ्रम है कि अदालतों को केवल वकीलों की भाषा समझ में आती है पीड़ित का पक्ष उसके लिए दोयम दर्जे का है।

भ्रम, भ्रम और केवल भ्रम के भरोसे विधि की मान्यता भी अपने आप में भ्रम है। इस भ्रम जाल से बाहर आने के लिए विधि के भ्रमजाल में ही घूमते रहना सभ्यता का कृत्रिम आवरण तो हो सकता है। लेकिन सच में विधिक सभ्यता की स्थापना एक सपना ही है।

-युगान्तर वशिष्ठ-

पौराणिक कथन : संजीवनी विद्या

केवल दैत्य गुरू शुक्राचार्य इसे जानते थे। देवगुरू ब्रहस्पति के पुत्र ''कच'' इनसे सीखकर देवताओं को बतायी।

रक्तबीज जाति का राक्षस।
तोड़ रहा है मन ढांढस।
मर कर वो फिर से प्रकटा है-
पुन: लूटने देसी पारस।।

कविता

जो हर विकास की बाधा है

जातिगत आरक्षण की विषबेल
जिन्होंने बोई है।
यह पक्का है उनके कारण
देश गर्त में जाएगा।।
आस्तीनों मे पाल लिया
जहरीला विषधर है जिनने।
यह पक्का है एक रोज
उनके कुनबे को खायेगा।।
मीठी-मीठी खुजली कर
सहलाया छोटे घावों को।
पक्का है असाध्य रोग
नासूर यही बन जाएगा।।
यह जातिगत आरक्षण ही
हर विकास में बांधा है।
इस कारण न चाहने पर भी
देश रसातल जाएगा।।
जातिगत आरक्षण
सत्तालोलुपता की बोधक है।
इनकी घृणित स्वार्थ लिप्सा
सोने की लंका ढहाएगा।।
जातिगत आरक्षण विलग करे
भाई से भाई को।
देशों की दोडों में भारत
पीछे ही रह जाएगा।।
प्रतिभावों के तिरष्कार का
खेल चलेगा कब तक यूं।
आज यदि नहीं सोच सकें तो फिर
अवसर नहीं आएगा,
ये अवसर नहीं आयेगा।।
जातिगत आरक्षण की विषबेल
जिन्होंने बोई है।
यह पक्का है उनके कारण
देश गर्त में जाएगा।।

– आभार–

वैद्य श्री भगवान सहाय पारीक

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

''किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वाहन होता है और वह सरकार की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अत: संवैधानिक प्रावधान का आशय स्पष्ट करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण भी व्यावहारिक होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अमूर्त सिद्धांतों के चक्कर में उलझकर रह जाए।''

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण न दिए जाने को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताने वाले लोगों में- विशेषकर राजनीतिक वर्ग में- वे ही लोग हैं, जिनका कहना होता है कि चूँकि सरकारी तंत्र में वे उच्च पदाधिकारी हैं, अत: उन्हें अपने देश के और विदेशों के भी महँगे-से-महँगे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए- और वह भी सरकारी खर्च पर, जो आम आदमी के लिए एक सपने से भी बड़ी बात होती है! जी हाँ, यही है समाजवाद!

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनेक सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

जातिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रशासनिक निर्णय करना गलत: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करके माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना करते हुये पुलिस विभाग में जातिगत वैमनस्य फैलाने का दुष्कृत्य करने वाले अधिकारी आनन्द कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव होम को जांच के बाद सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है।

समता आन्दोलन समिति ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री को भेज कर निवेदन है कि आनन्द कुमार ने अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण का लाभ लेते हुये यह आई.ए.एस का पद प्राप्त किया है और अपने प्रशासनिक पदों के अधिकारों का जातिगत आधार पर दुरूपयोग करते हुये गैर अनुसूचित जाति वर्ग के लोकसेवकों और नागरिकों को दुराशय पूर्वक प्रताडित एवं परेशान करने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं। हाल ही में दिनांक 14 मई 2024 को इन्होंने पुलिस विभाग में अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझ कर अवमानना करते हुये सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के लोकसेवकों को अविधिक रूप से पदोन्नति देने का एक ऐसा विवादित आदेश महानिदेशक पुलिस पर दवाब डाल कर जारी करवाया जिससे पूरे विभाग में जातिगत वैमनस्यता और दुर्भावना चरम सीमा तक फैल चुकी है। उल्लेखनीय है कि यह आदेश कार्मिक विभाग से लगभग 17-18 माह पूर्व लिये गये उस तथाकथित मार्गदर्शन के आधार पर जारी करवाये गये हैं जिनके आधार पर 12 दिसम्बर 2022 में जारी विवादित आदेश पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही स्थगन दिया हुआ है।

आनन्द कुमार द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये जारी करवाये गये उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 14 मई 2024 को देखते ही पूरे पुलिस विभाग मे हड़कम्प मच गया और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लाचार और पीड़ित लोकसेवकों द्वारा पुन: न्यायपालिका में याचिका लगाई गई उसके फलस्वरूप उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 14 मई 2024 के क्रियान्वयन एवं प्रभाव को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुन: स्थगित (स्टे) कर दिया गया है।

आनन्द कुमार द्वारा जनवरी 2024 में भी अपने प्रशासनिक अधिकारों का जातिगत आधार पर दुरूपयोग करते हुये आर.पी.एस. पदोन्नति प्रकरण में भी आरक्षित वर्ग के कुल 17 अधिकारियों को अविधिक रूप से सामान्य पदों पर पदोन्नति दिलवाई गई है। सामान्य/ओबीसी वर्ग के जिन निष्ठावान, कर्मठ आर.पी.एस. अधिकारियों की जगह आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को सामान्य पदों पर पदोन्नति दी गई है उन्हें भी डराये, धमकाये जाने की जानकारी मिली है ताकि वे अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण में जाने की कार्यवाही नहीं करें। स्वास्थ्य विभाग में भी सचिवीय पद पर सेवाऐं देते समय अपने प्रशासनिक अधिकारों का जातिगत आधार पर दुरूपयोग किया गया था। ये अपनी कुण्ठाओं के चलते जहां भी पदस्थापित रहते हैं वहीं जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये सामान्य/ओबीसी वर्ग के लोकसेवकों/नागरिकों को प्रताड़ित और परेशान करने की कुचेष्टा करते रहे हैं।

आप यह भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सकल प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। आनन्द कुमार के दुष्कृत्य प्रामाणिक रूप से सकल प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अत: इन्हें आरक्षण के आधार पर दी गयी आई.ए.एस. की नियुक्ति को प्रत्याहृत (विद्ड्रा) किया जावे।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में प्रार्थना की है कि :-

1. आनन्द कुमार जहां-जहां पदस्थापित रहे हैं वहां-वहां इन्होंने जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये जो-जो दुष्कृत्य किये हैं उन सभी की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाई जाकर इनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
2. दिनांक 14 मई 2024 का अविधिक आदेश (प्रति संलग्न) निकलवाकर श्री आनन्द कुमार द्वारा राजस्थान पुलिस विभाग में जातिगत वैमनस्य, दुर्भावना और गुटबाजी फैलाने का दुष्कृत्य किया गया है उसकी जांच करवाकर इनकी सेवाऐं बर्खास्त करते हुये इनके विरूद्ध आई.पी.सी. की संबंधित धाराओं के अधीन सरकार की ओर से फौजदारी मुकदमें दर्ज करवाये जावें।
3. उपरोक्त जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए आनन्द कुमार का तबादला तत्काल अन्यत्र किया जावे।
4. उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2022 और 14 मई 2024 (जिन पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है) को तत्काल निरस्त करके पुलिस प्रशासन में समता और सद्भावना का भाव पुन: विकसित किया जावे।
5. दिनांक 29 जनवरी 2024 को जारी आर.पी.एस. पदोन्नति आदेश के लिए रिव्यू डीपीसी करवाई जावे तथा अविधिक रूप से सामान्य पदों पर पदोन्नत किये गये अजा/अजजा के अधिकारियों को पदावनत करते हुये सामान्य/ओबीसी वर्ग के कर्मठ, निष्ठावान, पात्र आर.पी.एस. अधिकारियों को पदोन्नत किया जावे। पत्र की प्रति मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान, कार्मिक विभाग भारत सरकार को भी दी।

आज के समय कोई भी सरकार सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं के प्रति चिंतित नहीं : पाराशर

भरतपुर। पदोन्नति एवं जातिगत आरक्षण के साथ-साथ एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देने एवं इनके आधार पर हो रहे भेदभावपूर्ण अन्याय और अत्याचार को समाप्त करवाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को लेकर वयोवृद्ध समाजवादी नेता एवं पूर्व सांसद पंडित रामकिशन की अध्यक्षता एवं समता आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में काली की बगीची, भरतपुर स्थित गिरीश रिसोर्ट में समता आंदोलन समिति का सत्रहवां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर समता आंदोलन समिति मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक शर्मा, राम निरंजन गौड़, श्यामसुंदर सेवदा, प्रान्तीयत अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ बाबूलाल विजयवर्गीय, संभाग अध्यक्ष जयपुर ऋषिराज राठौड़, राम प्रकाश सारस्वत, मध्य प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री ओ.पी.श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष धौलपुर सुरेंद्र सिंह परमार, संभाग युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष योगेश कौशिक, कृषि विभाग के सयुंक्त निदेशक योगेश शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों द्वारा माँ भारती का पूजन व द्वीप प्रज्वलन किया गया, तत्पश्चात सर्वप्रथम पधारे हुए समतावादी सदस्यों का सम्मान उपरना (पटका) पहनाकर एवं बैज लगाकर किया गया।

कार्यक्रम में वार्षिक प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से समाजों में बढती हुई दूरियां एवं समाप्त होते भाईचारे को लेकर सभी समाजों के सामने विचारधारा लायी जाए, जिससे सभी को उचित सम्मान एवं न्याय प्राप्त हो सके। इस समतावादी विचारधारा को लेकर समता आंदोलन आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आज कोई भी सरकार सामान्य वर्ग के बेरोजगार बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण में पात्र व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिले, सरकार सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं कर रही हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार प्रदर्शन शहर अध्यक्ष सुनील बंसल ने किया। कार्यक्रम के उपरान्त सभी संभागियों को स्नेहभोज कराया गया। कार्यक्रम का संचालन हरिओम हरि ने किया।

कार्यक्रम में सभी ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा, जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर, संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ ओमप्रकाश शर्मा, शहर अध्यक्ष सुनील कुमार बंसल, अनिल गर्ग, अशोक विजयनगर, दिलीप कुलश्रेष्ठ सहित अनेक समतावादी सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर कई सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं सदस्यगण मौजूद रहे।

धारा - 370 हट सकती है तो आरक्षण क्यों नहीं: पाराशर नारायण शर्मा

कोटा। समता आंदोलन देश की प्रतिभा व पिछड़ों के साथ है। आरक्षण की जरुरत जिन्हे है उन्हें मिलनी चाहिए ना कि किसी सम्पन्न व प्रभावशील व्यक्ति जाति के नाम पर अन्य के अधिकारों का हनन करें। जातिगत आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू किया जाए। अगर धारा 370 हट सकती है तो आरक्षण भी हट सकता है। यह बात समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने हनुमंत वाटिका गोदावरी धाम में समता आंदोलन के 17वें स्थापना दिवस समारोह में कही।

उन्होंने कहा कि समता परिवार निरंतर बढ रहा है। पदोन्नति व जातिगत आरक्षण के साथ-साथ एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों के लिए अधिकृत अघतन जानकारी देने व इनके आधार पर हो रहे भेदभावपूर्ण के अन्याय और अत्याचार को समाप्त करवाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर समता का 17वां स्थापना महोत्सव आयोजित किया। बाबा शैलेन्द्र भार्गव ने कहा कि जातिगत आरक्षण सामाजिक रूप पिछडे के उत्थान के लिए था। परन्तु आजादी के 75 वर्षों से आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अर्थात आरक्षण योजना लाभकारी निर्णय नहीं है, इसकी निष्पक्ष समीक्षा जरुरी है।

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, विशिष्ट अतिथि राम निरंजन गौड, संभागीय अध्यक्ष जयपुर ऋषिराज सिंह, श्याम सुन्दर सेवदा व अध्यक्षता कर रहे बाबा शैलेन्द्र भार्गव गोदावरी धाम ने कार्यक्रम शुरू किया। इस अवसर संभागीय अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, संयोजक राजेंद्र गौतम, संभागीय महामंत्री कमल सिंह व जिलाध्यक्ष गोपाल गर्ग मंचासीन रहे।

इन्हे मिला संतश्री सम्मान

वर्षों से समता आंदोलन के प्रति निष्ठाए समर्पण भाव से कार्य करने वाले बंधुओं को संतश्री से सम्मानित किया गया। सुरेश शर्मा सहायक अभियंता सिंचाई, निमिष सक्सेना शिक्षा विभाग, शंभुलाल ओस्तवाल पीडब्लूडी, भंवरपाल सुमन पीडब्लूडी, गिर्राज मथुरिया लेखा, धर्मेंद्र टाक चिकत्सा, गिरिराज शर्मा रेलवे, पीपी गुप्ता अधीक्षण अभियंता को संतश्री से सम्मानित किया।

मुआवजा दे सरकार, सीट नहीं टिकटों में हो आरक्षण

संभागीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने राजनैतिक पार्टियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। टिकट वितरण में आरक्षण के प्रावधान लागू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीट पर आरक्षण के प्रावधान लागू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीट पर आरक्षण होने से योग्य व्यक्ति चुनाव लडने से वंचित हो जाता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के कारण किसी प्रतिभा का हनन हुआ है, तो इसका मुआवजा सरकार भरे। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद, सलाहकार परिषद का गठन किया जाए और विधायक, सांसद इन्ही की सलाह पर विकास एवं अन्य कार्य कराने के लिए बाध्य हो।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in